रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032021-225941
CG-DL-E-16032021-225941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1144] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942
No. 1144] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2021

का.आ. 1232(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के नियम 127सी के उपनियम (2) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110क की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्मानुसार मालिकों का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करता है:

1. वाहन रिकॉल पोर्टल का प्रबंधक, मोटर यान नियम, 1989 के नियम 127सी के अधीन पदेन अधिकारियों को सूचित करेंगे, यदि सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित एक विशेष मोटर वाहन में एक समान दोष सूचित करने वाले मालिकों की संख्या सारणी के स्तम्भ (1) में मोटर वाहन की श्रेणी के प्रतिशत से अधिक है या बराबर है ।

सारणी

श्रेणी	एक समान दोष सूचित करने वाले मालिको का प्रतित
(1)	(2)
2डब्ल्यू	वाहन मॉडल के लिए जिनकी वार्षिक ब्रिक्री है: • 3,000 यूनिट तक – ब्रिक्री का 20 प्रतिशत • 3,001 - 60,000 यूनिट – (6,00) + 3000 से उपर ब्रिक्री का 10 प्रतिशत

	• > 60,000 यूनिट- (6300) + 60000 से उपर ब्रिक्री का 2 प्रतिशत
3 डब्ल्यू और एल7	वाहन मॉडल के लिए जिनकी वार्षिक ब्रिक्री है: • 500 यूनिट तक: ब्रिक्री का 20 प्रतिशत • 501 -10,000 यूनिट: (100) + 500 से उपर ब्रिक्री का 10 प्रतिशत • >10,000 यूनिट : (1050) +10000 से उपर ब्रिक्री का 2 प्रतिशत
एम1	वाहन मॉडल के लिए जिनकी वार्षिक ब्रिक्री है: 500 यूनिट तक : ब्रिक्री का 20 प्रतिशत 501 -10,000 यूनिट : (100) + 500 से उपर ब्रिक्री का 10 प्रतिशत > 10,000 यूनिट : (1050) + 10000 से उपर ब्रिक्री का 2.5 प्रतिशत
एम2, एम3, एन1, एन 2, एन3, टी3, टी4	3 प्रतिशत (वार्षिक ब्रिक्री का)

2. प्राप्त आवेदनों के प्रतिशतता की गणना के उद्देश्य के लिये, निम्नलिखित सूत्र लागू किया जायेगा:

$$\text{एक मोटर वाहन में एक समान दोष का प्रतिशत} = \frac{\text{प्राप्त आवेदनों की संख्या जिसमें एक मोटर वाहन में एक समान दोष के संबंध में उल्लेख किया गया हो।}}{\text{एक वर्ष में ब्रिक्री किये गये मोटर वाहनों की संख्या}}$$

[फा.सं. आरटी-11036/63/2019-एमवीएल (भाग 2)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2021

S.O. 1232(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 110A of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) read with sub-rule (2) of rule 127C of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby specifies the percentage of owners as follows:

1. The manager of the Vehicle Recall Portal shall inform the designated officer under rule 127C of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, if the number of owners reporting an identical defect in particular motor vehicle mentioned in column (2) of the table, is equal to or more than the percentage for the category of the motor vehicle in column (1) of Table.

TABLE

Category	Percentage of owners reporting identical defect
(1)	(2)
2W	For vehicle models whose annual sales is: • Upto 3,000 Units – 20 percent of sales • 3,001 - 60,000 units – (6,00 nos) + 10 percent of sale beyond 3000 • > 60,000 units - (6300 nos) + 2 percent of sale beyond 60000
3W & L7	For vehicle models whose annual sales is: • Upto 500 units : 20 percent of sales

	• 501 -10,000 units : (100 nos) + 10 percent of sales beyond 500 • 10,000 units : (1050 nos) + 2 percent of sales beyond 10000
M1	For vehicle models whose annual sales is • Upto 500 units : 20 percent of sales • 501 -10,000 units : (100 nos) + 10 percent of sales beyond 500 • > 10,000 units : (1050 nos) + 2.5 percent of sales beyond 10000
M2, M3, N1, N2, N3, T3, T4	3 percent (of annual sales)

2. For the purposes of calculating the percentage of applications received, the following formula shall be employed:

percent of Applications for an identical defect in a motor vehicle = $\dfrac{\textbf{Number of Applications received stating the identical defect in a particular motor vehicle}}{\textbf{Number of motor vehicles sold in a rolling year}}$

[F.No- RT-11036/63/2019-MVL (Part 2)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.16 21:58:35 +05'30'